राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(10)नविवि/रेरा/2021 जयपुर, दिनांक :- 17 DEC 2021

आदेश

राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (RERA) हेतु निम्न पदों को भरने की तिथि से दिनांक 28.02.2022 तक अस्थाई रूप से सृजित करने एवं भरने की सहमति वित्त (आय–व्ययक) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(1) वित्त–1(1)आ.व्यय./2012 दिनांक 18.10.2019 के बिन्दु सं. 2 में नवीन पदो के सृजन पर प्रतिबंध में शिथिलता प्रदान किये जाने के अनुसरण में एतदद्वारा प्रदान की जाती है:–

S. No.	Post	No. of Posts	Pay-Matrix	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Adjudicating officer	1	RHJS Scale	New creation
2.	Registrar	1	L-19	New creation
3.	Joint Registrar (Projects)	1	L-19	Upgradation of DY. Registrar (Technical)
4.	Assistant Accounts Officer-I/II	1	L-12/L-11	Change of Pay Level
5.	Private Secretary	3	L-15/L-16	01 post new creation in place of abolition of 02 posts of Jr. Asstt.
6.	Stenographer	2	L-11	New Creation
	Total	**9**		

उक्त सहमति वित्त विभाग द्वारा निर्धारित निम्न शर्तो के अध्ययधीन प्रदान की जाती है जिनकी पालना राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (RERA) के स्तर से सुनिश्चित की जावेगीः–

1. नवसृजित पदों पर प्रतिनियुक्त कार्मिकों को वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधायें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सेवा शर्तो के अनुरूप उपलब्ध कराई जायेंगी।
2. उक्त समस्त पद पूर्णतः अस्थाई रहेंगे एवं केवल प्रतिनियुक्ति द्वारा ही पदों को भरा जा सकेगा। रेरा का स्वयं का कोई स्थाई कैडर नहीं होगा।
3. पदों के सृजन/भरने से होने वाला व्यय रेरा के स्वयं के कोष से किया जावेगा। इस हेतु राज्य सरकार से किसी प्रकार का अनुदान/सहायता प्रदान नहीं की जावेगी।
4. रेप्सर एक्ट की पालना राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (RERA) के स्तर से सुनिश्चित की जावें।
5. वित्त विभाग की आई.डी. सं. 101703646 दिनांक 28.07.2017 के द्वारा रियल एस्टेट रेग्युलेटरी फण्ड के गठन हेतु दिये गये परामर्श अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–3) विभाग की आई.डी.संख्या 102105606 दिनांक 08.12.2021 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-Sd-

(अवधेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग की आई.डी संख्या 102105606 दिनांक 08.12.2021 के क्रम में।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय